

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 268/2015 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 14-08-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

महावीर प्रसाद दुबे (शर्मा) पुत्र रामेश्वर दयाल
दुबे (शर्मा), उम्र 35 वर्ष, निवासी विषवारी थाना
रौन जिला भिण्ड वर्तमान पता ग्राम सुनार थाना
जालोन यू0पी0

-----अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री गोपेश गर्ग
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0. 560/2015 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 268/2015

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री के0सी0उपाध्याय अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 07-09-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी महावीर शर्मा का विचारण धारा 363, 366(क) भा0दं0वि0 एवं धारा 8 बालकों से लेगिंग अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 30-5-15 को शाम 10:30 बजे सब्जी मण्डी मालनपुर सोनी का किराये का मकान में फरियादिया शशि जाटव की नावालिग पुत्री जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की थी को उसके विधि पूर्ण संरक्षक के बिना उसकी सहमति के ले गये/बहलाकर ले गये। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया शशी जाटव की पुत्री जो 18 वर्ष से कम उम्र की थी को अयुक्त संभोग करने के लिये विवश या बिलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुये कि उसे इस हेतु विवश या बिलुब्ध

किया जावेगा या उसे विवाह करने के लिये विवश करने के आशय से उसका व्यपहरण/अपहरण किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक व उसके करीब फरियादिया जो कि नावालिग स्त्री है के साथ लेगिंग हमला कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 30-5-15 को अपहृता/पीडिता जो कि 15 साल की उम्र की होकर नावालिग थी तथा मालनपुर में अपनी माँ शशी के संरक्षण में रहती थी। उक्त दिनांक को उसकी माँ ग्वालियर दबाई व कपडे लेने के लिये चली गयी थी। जब वह ग्वालियर से दिन के करीब 12 बजे वापिस आयी तो उसे घर पर पीडिता नहीं मिली। उसकी तलाश की किन्तु उसका कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन दिनांक 31-5-15 को थाना मालनपुर में उसके द्वारा लडकी के ले जाने के संबंध में आरोपी महावीर जो कि उनके पडोस में रहता था और मार्बल फेक्ट्री में काम करता था उस पर शंका होना बताते हुये रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिस पर धारा 363 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अपराध 89/15 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। पीडिता की दस्तयावी दिनांक 2-6-15 को की गयी। पीडिता के मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन कराये गये। घटना के समय पीडिता नावालिग होने और उसे आरोपी के द्वारा विवाह करने हेतु वहलाफुसलाकर अपने साथ ले जाना पाया गया जिस पर से धारा 366 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366(क) भा0दं0वि0 एवं बालको के लेगिंग अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए व्यक्त कर बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या अपहृता/पीडिता घटना दिनांक 30.05.2015 को 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी?
2. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 30.05.2015 को 10:30 बजे या उसके करीब

सब्जी मण्डी मालनपुर सोनी का किराये का मकान में उसकी माँ शशि जाटव की विधि पूर्ण संरक्षकता से उसकी सहमति के बिना ले गए/बहलाकर ले गए?

3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक या उसके करीब अपहृता जो कि नावालिग है को विवाह करने या अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए उसका व्यपहर/अपहरण किया?
4. क्या आरोपी के द्वारा उक्त दिनांक समय या उसके करीब नावालिग स्त्री के साथ लैंगिक हमला कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 :-

06. अभियोजन प्रकरण के अनुसार घटना के समय पीडिता की उम्र 15 वर्ष की होना बतायी गयी है और इस प्रकार वह घटना के समय नावालिग थी। इस संबंध में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि पीडिता की मां शशी ने दर्ज करायी है। प्रकरण के विचारण के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने से उसका साक्ष्य कथन नहीं कराया जा सका है। अभियोजन के द्वारा रिपोर्ट लेखक ए0एस0आई0 महेश भदौरिया अ0सा04 का परीक्षण कराया है जिन्होंने पीडिता की मां शशि के द्वारा प्र0पी0 4 की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के समय उसकी उम्र 15 साल की होनी उल्लेखित है। यह उल्लेखनीय है कि पीडिता जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन देने आयी थी उस समय उसकी अनुमानित उम्र 16 वर्ष का पाये जाने का उल्लेख है।

07. आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत् धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फस्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार उम्र के अवधारण में सर्वप्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख का प्रमाणपत्र विचार में लिए जाने की अपेक्षा उक्त अधिनियम के अंतर्गत की गई है। निश्चित तौर से इस संबंध में आयु के निर्धारण बावत् जो प्रावधान किये गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य

में वर्तमान पीडिता की उम्र के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

08. उपरोक्त संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी बृजमोहन शर्मा अ0सा02 के द्वारा पीडिता की उम्र 15-16 साल की होनी बतायी गयी है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया है कि पीडिता का जन्म उसके सामने नहीं हुआ है और उसकी उम्र वह अंदाज से बता रहा है। उसकी वास्तविक उम्र उसे नहीं मालुम है। उक्त साक्षी के कथन से पीडिता की उम्र के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। घटना के समय पीडिता की उम्र के संबंध में पीडिता के द्वारा उसे 18 वर्ष से अधिक उम्र की होना बताया है और यह अभिकथन किया है कि वह विद्यालय में नहीं पढी है, किन्तु इस संबंध में जैसा कि उल्लेखनीय है कि पीडिता पक्षद्रोही रही है। ऐसी दशा में यदि पीडिता के द्वारा घटना के समय अपनी उम्र के संबंध में कोई विपरीत कथन किये जा रहे हो तो इससे इस बिन्दु पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

09. अभियोजन के द्वारा पीडिता की उम्र के संबंध में शासकीय माध्यमिक विद्यालय दरुआ तहसील भिण्ड के प्रभारी प्रधानाध्यापक रविन्द्र सिंह यादव अ0सा0 5 के कथन कराए हैं। उक्त साक्षी के द्वारा पीडिता के कक्षा 6 में भर्ती होना जो कि कक्षा पांच के स्कूल प्रमाणपत्र और मार्कशीट के आधार पर स्कूल में भर्ती किया जाना बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा पीडिता के जन्म तिथि के संबंध में विद्यालय के अभिलेख के आधार पर उसकी जन्मतिथि दिनांक 11.10.1999 होना बताई है, जो कि पीडिता के उनके विद्यालय के भर्ती रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उनके द्वारा पीडिता की जन्मतिथि बताई गई है जो कि मूल भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 5 और उसकी फोटोप्रति प्र.पी. 5 सी है।

10. उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट बताया गया है कि जब उनके यहां पूनम का प्रवेश हुआ उस समय उसकी टी0सी0 एवं मार्कशीट ली थी और उसके आधार पर जन्म तिथि अंकित की थी। मात्र इस आधार पर कि साक्षी के द्वारा कक्षा 5वी की मार्कशीट व टी0सी0 के आधार पर उसकी जन्म तिथि अंकित की जाना बतायी है। जबतक कि इस संबंध में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है उसे अविश्वसनीय या बनावटी होने का कोई आधार नहीं कहा जा सकता। उक्त साक्षी का कथन भी प्रतिपरीक्षण उपरांत किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं होता है।

11. इस प्रकार उक्त अधिनियम के अंतर्गत जो कि नावालिग की उम्र के निर्धारण हेतु दिए गए दिशा निर्देश के रूप में है के अनुसार विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र इस संबंध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पीडिता के जन्म के संबंध में संबंधित वरिष्ठ अध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया गया है जो कि किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं है। इस बिन्दु पर

पीडिता के पिता एवं स्वयं पीडिता का अखण्डनीय न्यायालयीन कथन भी उक्त तथ्य की सम्पुष्टि करते हैं। ऐसी दशा में घटना जो कि दिनांक 30.05.2015 की होनी बताई गई है। विद्यालय के अभिलेख के अनुसार उसकी जन्म तिथि 11-10-1999 है। इस प्रकार घटना के समय पीडिता की उम्र 16 साल 4 महीने की थी जो कि निश्चित तौर से घटना के समय 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग है।

बिन्दु क्रमांक 2 लगायत 4:-

12. धारा 363 भा0दं0वि0 जो कि भारत से या विधिपूर्ण संरक्षिता से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान करती है। व्यपहरण को धारा 361 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके लिए निम्न आवश्यक तथ्य हैं- (i) किसी अप्राप्तव्य को यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या विकृत्तचित्त व्यक्ति को। (ii) विधि पूर्ण संरक्षिता से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया जाता है या बहलाकर ले जाया जाता है। " धारा 366(ए) भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु किसी नावालिग स्त्री का व्यपहरण या अपहरण किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या विवश करने अथवा समभाव्य जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाना आवश्यक है।

13. यह उल्लेखनीय है कि पीडिता की माँ श्रीमती शशि की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो गयी है जिस कारण उसका साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध नहीं हो सका है। पीडिता की माँ शशी के द्वारा उसकी नावालिग पुत्री पीडिता के व्यपहरण होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा पुलिस के द्वारा उसके धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कथन भी लेखबद्ध किये गये हैं। उक्त फरियादिया के द्वारा यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 4 में आरोपी पर पीडिता को ले जाने के संबंध में शंका होना व्यक्त किया गया है, इसी प्रकार उसके पुलिस को दिए गए 161 दं.प्र.सं. के कथनों में भी आरोपी पर उसकी लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में शंका होने और उसकी लडकी को आरोपी महाबीर जबरन शादी करने हेतु ले जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार साक्षिया के द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट एवं पुलिस को दिये गये धारा 161 दं.प्र.सं. के कथनों में आरोपी पर पीडिता को ले जाने के संबंध में शंका होनी व्यक्त की है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में शंका के आधार पर आरोपी के नाम का उल्लेख होने के परिप्रेक्ष्य में जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारभान साक्ष्य नहीं होती उसमें उक्त उल्लेख होने मात्र के

आधार पर एवं पीडिता के धारा 161 के कथन पुलिस को देने के आधार पर आरोपी के द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर अथवा अन्य प्रकार से ले जाने के संबंध में कोई संपुष्टि होना नहीं पायी जाती है।

14. घटना की अभियोक्त्री/पीडिता अ0सा01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षिया के द्वारा यह बताया गया है कि वह दिन के 12 बजे जब वह घर में अकेली थी उसकी मां ग्वालियर गयी थी तो वह घर से निकल पडी और भिण्ड वाली बस में बैठकर अपनी बहन के यहां भिण्ड चली गयी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं। किन्तु इस दौरान पीडिता के कथनों में किसी भी बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण को समर्थित करने वाला तथ्य नहीं आया है।

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी बृजमोहन अ0सा02 आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुये बताया है कि आरोपी मालनपुर में पीडिता और उसके मां के बगल वाले मकान में रहता था। करीब पांच छः महीने पुरानी बात है, वह मालनपुर चौराहे पर खडा था उसने भिण्ड वाली बस में आरोपी महावीर पण्डित और पीडिता को बैठते हुये देखा था। उस समय पीडिता की माँ ग्वालियर गयी थी।

16. उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में यह बात आयी है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी महावीर के साथ पीडिता कैसे गयी थी। इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने पीडिता को कभी बहलाया फुसलाया नहीं था। इस संबंध में साक्षी के द्वारा उसके पुलिस को दिये गये कथन (जो कि प्र0पी02 के रूप में साक्ष्य में अभिलिखित है जबकि प्र0डी02 के रूप में उसे प्रदर्शित किया गया है) तथा न्यायालय में हुये कथन में इस संबंध में बी से बी भाग की बात जो कि आरोपी के द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में उल्लेखित किया गया है इस प्रकार का कथन देने से इन्कार किया है। इस प्रकार यद्यपि उक्त साक्षी के द्वारा पीडिता एवं आरोपी को भिण्ड वाली बस में बैठते हुये देखने वाली बात अपने साक्ष्य के दौरान बताया गया है। किन्तु मात्र इस आधार पर कि साक्षी के द्वारा भिण्ड वाली बस में बैठते हुये आरोपी एवं पीडिता को देखा गया है, इस आधार पर इस आशय का कोई आधार नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपी के द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाया जा रहा था। साक्षी के द्वारा पीडिता को शादी करने हेतु आरोपी के द्वारा ले जाने के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में कोई बात नहीं बताई है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में साक्षी आरोपी महावीर के द्वारा पीडिता से शादी करने के संबंध में बताया है। किन्तु साक्षी के इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में किए गए कथन के आधार पर आरोपी के द्वारा

पीडिता के द्वारा विवाह करने हेतु विवश व विलुब्ध करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

17. पीडिता का धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन घटना के पश्चात् मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोजन के द्वारा कराया गया है, किन्तु उसके द्वारा जो धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन दिए गए हैं, उसमें भी कहीं अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है। साक्षिया यद्यपि अपने कथन में महाबीर पंडित के साथ विवाह करना चाहना बताई है, किन्तु उसके द्वारा आरोपी के साथ विवाह करने की इच्छा मात्र के आधार पर अभियोजन प्रकरण आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

18. अभियोजन के द्वारा मोबाइल कॉल डिटेल्स जो कि मोबाइल नम्बर 7047819447 का कॉल डिटेल्स होना बताते हुए इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सायबर सेल के आरक्षक योगेन्द्रसिंह अ0सा0 3 का कथन कराया है, किन्तु उक्त कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी को घटना में लिप्त करने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं आया है। उक्त बताया हुआ नम्बर किस के नाम पर है एवं किस के द्वारा किसको फोन किया गया है ऐसा भी कहीं उक्त साक्षी के साक्ष्य कथन में नहीं आया है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की किसी प्रकार से कोई सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

19. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी ए.एस.आई महेश भदौरिया अ0सा0 4 जिनके द्वारा कि फरियादिया शशि की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 की लेखबद्ध करना बताया है तथा साक्षी सुभाष पाण्डेय अ0सा0 6 जिन्होंने कि प्रकरण की विवेचना की है और विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया है और पीडिता को दिनांक 02.06.2015 को दस्तयाब कर दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 7 तैयार किया गया था तथा पीडिता के न्यायालय में कथन कराया जाना बताया है। दिनांक 10.06.2015 को पीडिता के कथन महिला आरक्षक के समक्ष लेखबद्ध करना तथा दिनांक 02.08.15 को साक्षी बृजमोहन के कथन लेखबद्ध करना बताया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना एवं विवेचना की कार्यवाही करने के संबंध में बताया जा रहा है, इस संबंध में जबकि अभियोजन का प्रकरण किसी अन्य साक्षी की साक्ष्य के आधार पर समर्थित होना नहीं पाया गया है, मात्र उनके द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

20. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि वर्तमान प्रकरण में वर्तमान आरोपी पर भा.दं.वि. की उक्त धाराओं के अतिरिक्त बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत भी अभियोग है।

उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाएगी कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया है तथा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आरोपी के अपराध करने हेतु मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाएगी।

21. इस संबंध में जैसा कि पूर्ववर्ती विवेचना के आधार पर आरोपी के द्वारा पीडिता का व्यपहरण करना अथवा उसे विवाह करने हेतु विवश किए जाने या अयुक्त संभोग करने हेतु विवश या बिलुब्ध किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। जहाँ तक लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के संबंध में उपधारणा का प्रश्न है तथा इस संबंध में अधिनियम की धारा 30 आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उपधारणा किए जाने हेतु प्रारंभिक तौर से तथ्य अभियोजन को दर्शित करना होगा। घटना में आरोपी के संलग्न होने के संबंध में कोई भी तथ्य पीडिता या अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर प्राथमिक रूप से प्रमाणित नहीं है। पीडिता के द्वारा स्पष्ट रूप उसके साथ आरोपी के द्वारा कोई घटना करने से इन्कार किया है, ऐसी दशा में धारा 29 तथा धारा 30 के अंतर्गत उपधारणा नहीं की जा सकती।

22. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा पीडिता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षिता से बिना उसकी सहमति के उसे ले जाया गया अथवा बहला/फुसलाकर ले जाना एवं पीडिता को उसके साथ विवाह करने के लिये विवश या बिलुब्ध करने के आशय से उसका व्यपहरण/अपहरण किये जाना एवं उसके साथ कोई लैंगिक हमला कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

23. तदनुसार आरोपी के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी को धारा 363, 366(क), भा०दं०वि० एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड म०प्र०

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड म०प्र०